KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध
Special provisions for certain classes

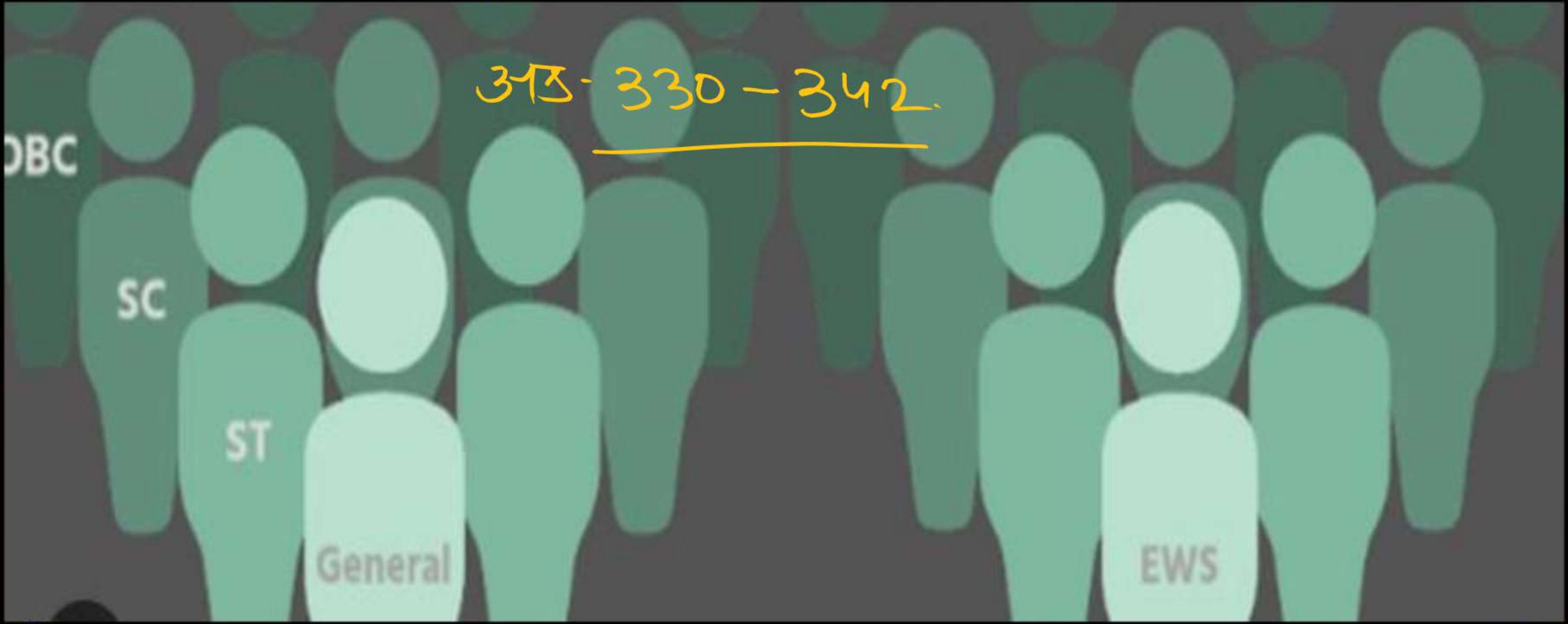

कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध अनु 330 - 342

Special provisions for certain classes

470+

मूल रूप - 395

अनु 330 - लोकसभा में SC और ST के लिए सीट का प्रावधान Provision of seats for SC and ST in Lok Sabha-

(SC → अनुसूचित जाति; ST → जनजाति)

संसद SC – 84 ST 47 = 131

अनु 331 - लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा -(निरसित) Nomination of two Anglo-Indians in Lok Sabha by the President - (Repealed)

→ 104वां C.A.A 2020

अनु 332 - विधानसभा में SC और ST के लिए सीट का प्रावधान Provision of seats for SC and ST in the Legislative Assembly - -

अनु 333 - 1 Anglo Indian का मनोनयन राज्यपाल द्वारा विधानसभा (निरसित)

अनु 335 - SC ST समुदाय को प्रशासनिक कार्यो में उतना ही आरक्षण प्रदान किया जायेगा जिससे की प्रशासनिक गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो।
SC ST community will be provided reservation in administrative works to the extent that administrative quality is not affected.

अनु 338 - SC आयोग का गठन Constitution of SC Commission –

↳ 65वां CCA 1990 के द्वारा SC और ST आयोग अलग.

अनु 338 A - ST आयोग का गठन Constitution of ST Commission–

↳ 89वां C.AA. 2003

Imp
अनु 338 B - OBC आयोग का गठन - Constitution of OBC Commission

↳ 102वां C.AA. 2020

अनु 340 -सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सुधार के लिए स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। Provides for the appointment of a commission to examine the conditions for the improvement of socially and educationally backward classes.

अनु 341 - राष्ट्रपति , जाती धर्म वर्ग समुदाय क्षेत्र के रहन सहन के आधार पर SC जाती या क्षेत्र में शामिल कर सकेगा।The President may include a person in the SC caste or region on the basis of the standard of living of the caste, religion, class, community or area.

अनु 342 -राष्ट्रपति , जाती धर्म वर्ग समुदाय क्षेत्र के रहन सहन के आधार पर ST जाती या क्षेत्र में शामिल कर सकेगा।The President may include a person in the ST caste or region on the basis of the standard of living of the caste, religion, class, community or area.

राजभाषा आयोग Official Language Commission
ART. 343 - 351

काम काज की भाषा

राजभाषा आयोग अनु 343 – 351
Official Language Commission

संविधान लागु होने के पश्चात् 15 वर्षो तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जायेगा और हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जायेगा। After the constitution comes into force, English language will be used for 15 years and Hindi language will be promoted.

सन 1955 में प्रथम राज भाषा आयोग का गठन किया गया। जिसके प्रथम अध्यक्ष BG खेर बने। The first official language commission was formed in 1955. Its first chairman was BG Kher.

बाद में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए 30 सदस्यी संसदीय समिति का गठन किया गया जिसमे 20 सदस्य लोक सभा से तथा 10 सदस्य राज्य सभा से आते है। Later, a 30-member parliamentary committee was formed to promote the official language, in which 20 members come from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha.

8वी अनुसूची

संविधान लागु होते समय राजभाषा की संख्या 14 थी। वर्तमान में 22 है। इसका उल्लेख 8 वी अनुसूची में शामिल है। At the time of implementation of the constitution, the number of official languages was 14. At present, it is 22. It is mentioned in the 8th schedule.

→ 15वा भाषा → 21वा C.A.A. 1967 → सिंधी

→ 16वॉ, 17वॉ, 18वॉ → 71वा C.A.A. 1992 - नेपाली मणीपुरी कोंकणी (नमक)

→ 19वॉ, 20वॉ, 21वॉ व 22वां → 92वा C.A.A. 2003 - B.D.M.S
↳ बोडो डोंगरी मैथली संथाली

अनु 343 - संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script and the international form of Indian numerals.

अनु 344 - राजभाषा आयोग का गठन या संसदीय समिति Formation of Official Language Commission or Parliamentary Committee –

अनु 345 - राज्य की आधिकारिक भाषा - राज्य अपनी आधिकारिक भाषा की घोषणा कर सकेगा। → बिहार राज्य राजकीय भाषा → हिन्दी
Official language of the State - The State may declare its official language.

अनु 347 - किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान। Special provisions relating to the language spoken by a section of the population of a state. बिहार - उर्दू

अनु 346 -एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच पत्राचार की भाषा से जुड़े प्रावधान हैं.पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रपति तय करेंगे.
There are provisions related to the language of correspondence between one state and another state or between a state and the Union. The President will decide the language to be used for correspondence.

अनु 348 - उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा उपबंध न करे । All proceedings in the Supreme Court and every High Court will be in the English language unless Parliament provides otherwise by law.
राज्यपाल HC में मुख्य न्यायाधीश के पूर्व अनुमति पर क्षेत्रीय या हिंदी भाषा में चर्चा बहस करवा सकेगा। लेकिन डिक्री की भाषा अंग्रेजी होगा। The Governor can hold discussions in the HC in regional or Hindi language with the prior permission of the Chief Justice. But the language of the decree will be English.

अनु 349 - भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और उनकी भाषाओं का संरक्षण और विकास सुनिश्चित करना है। To protect the interests of linguistic minorities and to ensure the preservation and development of their languages.

अनु 350 - शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। Every person shall have the right to make an application in any language used in the Union or the State for the redressed of grievances.

अनु 350 A - बच्चो के शिक्षा के लिए मतृभाषा का प्रयोग किया जायेगा। Mother tongue shall be used for the education of children.

अनु 351 - हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जायेगा।
Hindi language shall be promoted.

शास्त्रीय भाषा Classical Language

ऐसी भाषा जिसे बोलने लिखने और व्याकरण का प्राचीनतम इतिहास हो उसे भारत सरकार शस्त्रीय भाषा की श्रेणी में डाल सकता है।

The Government of India can put a language which has an ancient history of speaking, writing and grammar in the category of a weapon language.

1. तमिल - 2004
2. संस्कृत - 2005
3. तेलगू - 2008
4. कन्नड़ - 2008
5. मलयालम - 2013
6. ओड़िया - 2014

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING